

(To be substituted bearing Same No. & Date)

प्रेषक

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

सेवा में

महानिदेशक,
अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा,
बेज न0 53-54, कल्याण भवन, सैक्टर-2, पंचकूला।

यादि क्रमांक: 322-SW(1)-2021
दिनांक घण्टीगढ 20 जुलाई, 2021

विषय:- डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना।

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 75-स0क0(1)-2008, दिनांक 16.01.08, 1696-स0क0(1)-18.08.2009, 1198-स0क0(1)-2016, दिनांक 15.09.2016 तथा क्रमांक 174-स0क0(1)-2018, दिनांक 07.02.2018 सन्दर्भ में।

2. हरियाणा के राज्यपाल डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अन्तर्गत वर्तमान में दिये जा रहे अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति, घुमन्तू, अर्ध-घुमन्तू जाति तथा पिछड़े वर्ग ब्लाक 'ए' एवं 'बी' के मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना में समाज के अन्य वर्गों के मेधावी छात्र/छात्राओं को पिछड़े वर्ग ब्लाक 'बी' के समान छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु निम्न अनुसार सहर्ष आदेश देते हैं:-

क्र0सं0	प्रावधान																														
1.	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त, घुमन्तू, अर्ध-घुमन्तू, टपरीवास एवं समाज के अन्य वर्गों के छात्रों के लिये।																														
2.	अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमन्तू, अर्ध-घुमन्तू, टपरीवास श्रेणी के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:- <table border="1"><thead><tr><th>छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा</th><th colspan="2">आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता</th><th>कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।</th><th>छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)</th></tr><tr><th></th><th>शहरी</th><th>ग्रामीण</th><th></th><th></th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td>मैट्रिक</td><td>70</td><td>60</td><td>11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।</td><td>8000</td></tr><tr><td>10+2</td><td>75</td><td>70</td><td>ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्ट्स 2. कॉमर्स/साईंस व सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष 3. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज 4. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज</td><td>8000 8000 9000 10000</td></tr><tr><td>ग्रेजुएशन</td><td>65</td><td>60</td><td>पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्ट्स/कॉमर्स/साईंस 2. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज 3. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज</td><td>9000 11000 12000</td></tr></tbody></table>	छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)		शहरी	ग्रामीण			1	2	3	4	5	मैट्रिक	70	60	11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000	10+2	75	70	ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्ट्स 2. कॉमर्स/साईंस व सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष 3. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज 4. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज	8000 8000 9000 10000	ग्रेजुएशन	65	60	पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्ट्स/कॉमर्स/साईंस 2. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज 3. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज	9000 11000 12000
छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)																											
	शहरी	ग्रामीण																													
1	2	3	4	5																											
मैट्रिक	70	60	11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000																											
10+2	75	70	ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्ट्स 2. कॉमर्स/साईंस व सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष 3. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज 4. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज	8000 8000 9000 10000																											
ग्रेजुएशन	65	60	पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्ट्स/कॉमर्स/साईंस 2. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज 3. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज	9000 11000 12000																											
3.	पिछड़े वर्ग ब्लाक 'ए' के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:- <table border="1"><thead><tr><th>छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा</th><th colspan="2">आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता</th><th>कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।</th><th>छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)</th></tr><tr><th></th><th>शहरी</th><th>ग्रामीण</th><th></th><th></th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td>मैट्रिक</td><td>70</td><td>60</td><td>11 वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।</td><td>8000</td></tr></tbody></table>	छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)		शहरी	ग्रामीण			1	2	3	4	5	मैट्रिक	70	60	11 वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000										
छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)																											
	शहरी	ग्रामीण																													
1	2	3	4	5																											
मैट्रिक	70	60	11 वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000																											

4.	पिछड़े वर्ग ब्लॉक 'बी' के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें-				
	छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)
		शहरी	ग्रामीण		
1	2	3	4	5	
	मैट्रिक	80	75	11 वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000
5.	समाज के अन्य वर्गों के मेधावी छात्र/छात्रों को पिछड़े वर्ग ब्लॉक 'बी' के छात्रों के समान अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:				
	छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)
		शहरी	ग्रामीण		
1	2	3	4	5	
	मैट्रिक	80	75	11 वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000
6.	छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की शर्तें				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। 2. सभी साधनों से पारिवारिक वार्षिक आय 4.00 लाख रुपये से अधिक न हो। 3. स्कीम की अन्य शर्तें यथावत रहेगी। 				

3. विभाग मामले में यह भी सुनिश्चित करेगा कि अगले दो मास के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्कीम को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक करेगा।
4. योजना की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।
5. यह स्वीकृति वित्त विभाग हरियाणा के अशा0कनांक 12/05/2021-4एफ0जी0-11/5048 दिनांक 28.04.2021 द्वारा दी गई उनकी मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है।

-SD-

अधीक्षक समाज कल्याण
कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

पृष्ठांकन क्रमांक: 322-SW(1)-2021

दिनांक चण्डीगढ़ 20 जुलाई, 2021.
03 अगस्त, 2022

- इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़।
 2. महालेखाकार (ऑडिट), हरियाणा, चण्डीगढ़।
 3. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, पंचकूला।
 4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा, पंचकूला।
 5. निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
 6. निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
 7. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
 8. निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा, पंचकूला।
 9. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
 10. रजिस्ट्रार, सभी विश्वविद्यालय (हरियाणा राज्य)।
 11. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पंचकूला।
 12. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
 13. सभी जिला कल्याण अधिकारी (हरियाणा राज्य)।

(Signature)

अधीक्षक समाज कल्याण
कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

DH